

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

और प्रथम वर्ष की प्रगति देख कर अगले वर्ष राज्य को अधिक अनुदान दिया जा सकेगा।

तदनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर लम्बाई की और 6 करोड़ रुपए लागत की सड़कों की स्वीकृति दी गई जिनका निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आदेशित किया गया। यह इस उद्देश्य से किया गया कि जब वर्ष 1978-79 में बढ़ा हुआ अनुदान प्राप्त हो तो उसका पूर्ण उपयोग हो सके।

परन्तु मार्च, 1978 में भारत सरकार ने सूचित किया कि 1 अप्रैल, 1978 के बाद इस योजना के अधीन कृषि-मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होगा। यह कहा गया कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की बढ़ी हुई वार्षिक योजना-सीमा में यह कार्यक्रम संचालित होना चाहिये। इस निर्देश से प्रदेश सरकार के सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई है। लोक निर्माण विभाग के अपने कार्यक्रम हैं और उनकी वार्षिक योजना-सीमा उनके बढ़े हुए कार्यों के लिए ही पर्याप्त है। ग्रामीण लिंक रोड्स को केन्द्रीय योजना के इस बढ़े हुए उत्तरदायित्व को अनपेक्षित रूप से लोक निर्माण विभाग की योजना में शामिल किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। यह समीचीन होता कि भारत सरकार पूर्व नोटिस देकर सूचित करती कि उनके संकेतों के अनुसार वर्ष 1978-79 में अनुदान मिलेगा परन्तु भविष्य में नहीं। ऐसा होने पर प्रदेश शासन कार्यक्रम को योग्य रूप से समायोजित करने की स्थिति में रहता। भारत सरकार ने यह छूट दी है कि वर्ष 1977-78 के आवंटन का उपयोग जून, 1978 तक किया जा सकता है। परन्तु इससे समस्या का हल नहीं होगा।

प्रदेश शासन इस अनपेक्षित केन्द्रीय निर्णय से संकट की स्थिति में पहुंच गया है। उसने जो निर्माण कार्य हाथ में लिए

हैं उनके अपूर्ण रहने की सम्भावना बन गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केन्द्र इस पर पुनर्विचार करे।

अतः सार्वजनिक महत्व के इस विषय पर कृषि मंत्री स्थिति स्पष्ट करते हुये तथा आश्वस्त करते हुये कि प्रदेश को समुचित सहायता दी जाएगी वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे और घोषणा करेंगे कि ग्रामीण लिंक रोड्स योजना ठीक कार्यान्वित होगी।

(ii) REPORTED SHARP FALL IN PRICE OF SHORT STAPLE COTTON IN GUJARAT

श्री मोती भाई आर० चौधरी : (बनासकांठा) : मैंने अविजलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बारे में पन्द्रह दिन पहले 377 के अधीन मामले को उठाया था लेकिन मुझे समय पर इस के बारे में कहने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे समय पर लोक हित के विषय को उठाने का मौका दिया जाना चाहिये था। ये जो अविजलम्बनीय महत्व के विषय उठाये जाते हैं उनके बारे में तुरन्त कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होती है।

मैं आपकी अनुमति से निम्न विषय जो अविजलम्बनीय लोक महत्व का है, उठाना चाहता हूँ :

MR. SPEAKER: Just to correct you, I allowed it last week but you were absent: and now you are blaming us for not giving you an opportunity earlier. You were absent on 2nd May and now you are turning the table on us.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : यह सिमेंट के बारे में था। मैंने पहले से लिख कर दिया था।

MR. SPEAKER: On this very matter we allowed you.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : वह रुई के बारे में नहीं था। सिमेंट के बारे में था। मैंने लिखकर दिया था। मैंने लिख कर दिया था कि दो तारीख को मैं नहीं रद्दंगा इसलिए मुझे तीन तारीख को मौका दिया जाये। मैंने जो आपके पास सबमिट किया था उसमें लिखा था कि तीन तारीख को मुझे मौका दिया जाये। ऐसे में नहीं करता हूँ।

अब मैं इस मामले पर जो रुई के बारे में है कुछ कहना चाहता हूँ। गुजरात में शार्ट स्टेपल रुई का भाव एक दम घट जाने के कारण किसान का तैयार किया हुआ माल नहीं बिक रहा है जिसका रेट 1977 जून में 4000 रुपए से ज्यादा था अब इसका भाव 2500 रुपए से कम हो गया है। फिर भी इनका माल लेने वाला कोई नहीं है। मेरे विचार में जिस समय देश में शार्ट स्टेपल रुई की कमी थी उसी समय बाहर से विस्कोस फाइबर—आयात करने की छूट दी गई थी। वह छूट अब भी जारी है। ऐसी स्थिति में भी यह छूट जारी है। इतना ही नहीं उस पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वह दूर कर दी गई है, इसलिए किसान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

इसलिए सरकार को चाहिये कि वह विस्कोस फाइबर का आयात तुरन्त बन्द कर दे नहीं तो काटन कारपोरेशन की ओर से किसानों का माल उचित कीमत पर यानि उत्पादन खर्च जितना आता है उस कीमत पर खरीदें जाने की व्यवस्था करे और यह शार्ट स्टेपल रुई जिसका भाव बहुत घट गया है उसके निकास की छूट दे ताकि किसान का उत्पादन किया हुआ माल बिक सके और उसको ठीक मूल्य मिल सके।

काटन कारपोरेशन की ओर से कई केन्द्रों पर खरीद का काम शुरू हुआ है

लेकिन बहुत सी जगहें बाकी बच गई हैं जहां शुरू नहीं हुआ है। गुजरात में कई जिलों में माल तैयार होता है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर खरीद की व्यवस्था की जाय।

अन्त में मैं चाहता हूँ कि विस्कोस फाइबर का आयात तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि देश में शार्ट स्टेपल रुई काफी मात्रा में उपलब्ध है।

(iii) REPORTED STRIKE BY EMPLOYEES OF INSTRUMENTATION LTD.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : I would like to draw the attention of Government to the following matter of public importance.

The 46 skilled workers and technicians of the Instrumentation Limited, a Government of India enterprise with the collaboration of USSR, under the Ministry of Industry, are on strike and hunger-strike since 10-4-78 at Patratu Thermal Power Station, Bihar, protesting against the retrenchment of 30 workers working there continuously for more than three years. This retrenchment of technicians and skilled workers is completely uncalled for as there is work in the Instrumentation Ltd. all over India and in Patratu in particular as this particular establishment is expanding all over the country, and the workmen are ready to go anywhere for jobs. I may also point out the fact that by retrenchment the Government is losing skilled hands trained for the purpose of instrumentation for years.

It may be noted that the same type of workers under BHEL under the same Ministry of Industry were made regular as per the agreement dated 8th April, 1978 in Delhi and there is no reason why different standards should be pursued in the case of workers of Instrumentation Ltd., and if this is allowed, the agitation is bound to spread to all other sites of work of Thermal Plants where the Instrumentation Ltd., is working. So, the Government should at once intervene in the matter, withdraw the retrenchment order and solve the crisis arising out of the strike and hunger strike for the just cause.